न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री भंवरलाल जनागल, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 242/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ओगड़ पुत्र रामा जी जाति- सीरवी उम्र- 65 वर्ष निवासी- चावण्डिया तहसील- जैतारण जिला- पाली राज0।		1. उरजा पुत्र रामा फौत के कायम मुकाम 1/1 रतनाराम पुत्र उरजाराम 1/2 पुखाराम पुत्र उरजाराम 1/3 बाबुलाल पुत्र उरजाराम 1/4 कमली पुत्री उरजाराम 1/5 लीला पुत्री उरजाराम 1/6 गट्टुडी पत्नी उरजाराम 2. गोपीलाल गोद पुत्र मंगा उर्फ भगा के कायम मुकाम 2/1 सुरेश पुत्र गोपीलाल 2/2 दिनेश पुत्र गोपीलाल 2/3 रेखा पुत्री गोंपीलाल 2/4 चम्पा पुत्री गोपीलाल 2/5 भंवरीदेवी पत्नि गोपीलाल 3. गुदड़राम पुत्र पुनाराम पुत्र इन्द्राराम के कायम 3/1 गुदड़राम पुत्र पुनाराम 3/2 माडकी देवी पत्नि पुनाराम 4. बाबूराम पुत्र इन्दाराम जी जातियान - सीरवी निवासीगण- चावण्डिया तहसील- जैतारण जिला- पाली राज0। 5. तहसीलदार, जैतारण

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:20/9/2018**

उपस्थितः 1. श्री चुतराराम भाटी, जगदीश सोलंकी अधिवक्ता, वादी।
2. श्री राकेश वैष्णव, अधि0प्रतिवादीगण

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 29/08/2019**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-चावण्डिया पटवार हल्का चावण्डिया में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की जमीन खसरा नंबर 66 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम खसरा नंबर 94 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 56 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है जिसकी जमाबंदियां नकल वाद के साथ पेश की जा रही है जिसे दावा का एक आवश्यक भाग माना जावे। वादपत्र में वर्णित वंशावली अनुसार भगा पुत्र रामा के पुत्र दुर्गा हुआ। जो बाल्यअवस्था में फौत हो गया। तब भगा व भगा की पत्नी ने गोपीलाल को गोद लिया था। इसलिए राजस्व रेकर्ड में गोपीलाल गोद पुत्र भगा का नाम दर्ज हुआ एवं गोपीलाल के फौत होने पर इनके वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। खसरा नंबर 56 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड में रामा फौत होने से उत्तराधिकारी का नाम उरजा, ओगड़ भगा थे। लेकिन भगाराम भी फौत होने से भगाराम के पुत्र दुर्गा का नाम दर्ज किया एवं जमाबन्दी संवत 2033 नई बनाते वक्त उरजा, ओगड़ पिसरान रामा का 1/2 हिस्सा व दुर्गा पुत्र भगा का हिस्सा 1/4 दर्ज कर दिया गया जो एक लिपिकिय त्रुटि यानि सिलिफ ऑफ पैन है। दावा में वर्णित खसरा नंबर 66 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि में वादी के हिस्से में 03 बीघा 14 बिस्वा भूमि व प्रतिवादी संख्या 02 के कायम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मुकाम के 10 बीघा 01 बिस्वा भूमि रखी जावे। व उक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटाया जावे व खसरा नंबर 94 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के रखी जावे। यानि खसरा नंबर 94 के राजस्व रेकर्ड से वादी व प्रतिवादी संख्या 02 का नाम हटाया जावे। एवं खसरा नंबर 56 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का 1/2 हिस्सा रखा गया यानि खसरा नंबर 56 से प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 02 के का0मु0 का नाम हटाया जावे। उपरोक्त हिस्से अनुसार मौके पर पिछले 40 वर्षो से शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इसी हिस्से माफिक व मौके पर काबिज अनुसार बंटवाड़ा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए उक्त वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादपत्र में वर्णित आराजी को वादी अपने हिस्से आरानी भूमि को उपजाउ बनाने के लिए बैंक से ऋण लेना चाहता है एवं किसान केडिट कार्ड भी बनवाना चाहता है लेकिन उक्त आरानी का खाता शामलाती होने से वादी उक्त आरानी पर बैंक से ऋण नहीं ले सकता है एवं उक्त आरानी बाबत हर वर्ष बरसात होने पर माठ व छोटी छोटी बात को लेकर प्रतिवादीगण विवाद करते रहे हैं। इसलिए उक्त आराजी का दावा के पद संख्या 03 में वर्णित हिस्से व रकबा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर बंटवाड़ा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। विवादित आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के आपस में मौके पर पिछले 40 वर्षो से बंटवाड़ा किया हुआ है। वादी ने अपने हिस्से की जमीन को समतल करके व खाद डालकर उपजाउ बनाई और मौके पर वादी ने तारबन्दी करके हजारों रूपये खर्च किये। अब प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की जमीन पर तारबन्दी तोड़कर कब्जा करने की धमकिया देतें हे। इसलिएं प्रतिवादीगण को वादी के मौके पर काबिज काश्त में दखलन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है। मुतनाजा जमीन में वादी के हिस्से में फसल बोइ हुई है। उसके उपरानत भी प्रतिवादीगण रात बिरात वादीगण की तारबन्दी तोड़कर लाठी के बल पर कब्जा करने की धमकिया देते है। प्रतिवादीगण संख्या में ज्यादा होने से रात बिरात कभी भी मौके पर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू है। यदि प्रतिवादीगण बलपूर्वक वादी के हिस्से की जमीन पर कब्जा कर लेंगे तो वादी अपने जायज अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। वादीगण को अनेक प्रकार की मुकदमें बाजी करने पड़ेंगे। वादीगण का असीम नुकसान होगा। इसलिए प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की जमीन पर कब्जा करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है। वादीगण का बिनाय दावा दिनांक 20.08.2018 को जब प्रतिवादीगण ने वादी के हिस्से की जमीन पर तारबन्दी तोड़कर नये तौर से बंटवाड़ा करने व कब्जा करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम चावण्डिया में पैदा हुआ जो अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है व वाद अन्दर म्याद पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्नस् वास्ते जवाब दावा तलब किये गयें। प्रतिवादीगण सं. 2/1, 2/5, 3/1, 3/2, व 4 की और से राकेश वैष्णव ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1, 2/2 से 2/4 को बावजुद तामिली/सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी मय अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण सं. 2/1, 2/5, 3/1, 3/2, व 4 अधिवक्ता ने एक तहरीरी राजीनामा पेश किया, राजीनामा में जाहिर किया कि उपरोक्त अनवान के वाद में वादी व प्रतिवादीगण के आपस में गांव के मौजिज व्याक्तियों की समझाईश से व लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है कि सरहद मौजा चावण्डिया में स्थित खसरा नंबर 66 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि में वादी के हिस्से में 03 बीघा 14 बिस्वा भूमि व प्रतिवादी संख्या 02 के का0मु0 के 10 बीघा 01 बिस्वा भूमि रखी जावे व उक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटाया जावे व खसरा नंबर 94 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के रखी जावे यानि खसरा नंबर 94 के राजस्व रेकर्ड से वादी व प्रतिवादी संख्या 02 का नाम हटाया जावे। एवं खसरा नंबर 56 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का 1/2 हिस्सा रखा गया यानि खसरा नंबर 56 से प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 02 के कायम मुकाम का नाम हटाया जावे। उपरोक्त हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर ट्रेस नक्शा में तरमीम किया जावे। तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति व एतराज नहीं है यानि माफिक राजीनामा वादी का वाद डिकी किया जावे। बाद राजीनामा पृथक से तस्दीक किया जाकर सा0मि0 किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेजात एवं राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, लिहाजा पक्षकारान् में माफिक राजीनामा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकार्ड प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-चावण्डिया पटवार हल्का चावण्डिया में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की जमीन खसरा नंबर 66 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम खसरा नंबर 94 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 56 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2019/3600 दिनांक 18/07/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई। वादी फौत होने से वकील वादी ने वादी फौत के का.मु. का प्रार्थना पत्र पेश किया, सा.मि.किया गया। वकील प्रतिवादी को प्रा. पत्र पर कोई आपति नही होने से प्रा.पत्र स्वीकार किया गया। वादी फौत के विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लिया गया।

बहस वकुलाय की बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व सरहद मौजा-चावण्डिया .पटवार हल्का चावण्डिया में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की जमीन खसरा नंबर 66 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम खसरा नंबर 94 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 56 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान
वर्तमान जमाबंदी अनुसार विवरण :-					
1	पुनाराम बाबुराम पिता इन्दाराम 1/2 उरजा ओगड़ पिता रामा 1/4 सुरेश दिनेश पिता गोपीलाल भंवरी देवी पत्नी गोपीलाल 1/4 कौम सीरवी सा.देह खातेदार।	56	13-12	बा.अ.	
2	उरजा ओगड़ पिता रामा गोपीलाल गोद पुत्र मंगा कौम सीरवी सा.देह खातेदार	66 94	13-15 10-01	बा.दो. बा.दो.	
	योग	**2**	**23-16**		
प्रस्तावित बंटवाड़ा अनुसार खातेदार का विवरण :-					
1	ओगड़ पुत्र रामा कौम सीरवी सा.देह खातेदार।	56	6-16	बा.अ.	
2	बाबुलाल पुत्र इन्दाराम गुदड़राम पुत्र पूनाराम मुन्नीदेवी कमलादेवी गणकीदेवी पुत्रियां पूनाराम माडकी देवी पत्नी पूनाराम कौम सीरवी सा. देह खातेदार।	56/1	6-16	बा.अ.	

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

3	सुरेश दिनेश पिता गोपीलाल रेखा चम्पा पुत्रियां गोपीलाल भंवरीदेवी पत्नी गोपीलाल कौम सीरवी सा.देह खातेदार।	66	10-04	बा.दो.	
4	रतनाराम पुखाराम बाबुलाल पिता उरजाराम कमलीबाई लीलाबाई पुत्रियां उरजाराम गट्टूडी बाई पत्नी उरजाराम कौम सीरवी सा.देह खातेदार।	94 66/1	10-01 0-03	बा.दो. बा.दो.	
	योग	**2**	**10-04**		
5	ओगड़ पुत्र रामा कौम सीरवी सा.देह खातेदार।	66/2	3-08	बा.दो.	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंट्वाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक **29/08/2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री भंवरलाल जनागल, आर0ए0एस0

वादी

1. ओगड़ पुत्र रामा जी जाति- सीरवी उम्र- 65 वर्ष निवासी- चावण्डिया तहसील- जैतारण जिला- पाली राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. उरजा पुत्र रामा फौत के कायम मुकाम
   1/1 रतनाराम पुत्र उरजाराम
   1/2 पुखाराम पुत्र उरजाराम
   1/3 बाबुलाल पुत्र उरजाराम
   1/4 कमली पुत्री उरजाराम
   1/5 लीला पुत्री उरजाराम
   1/6 गटुड़ी पत्नी उरजाराम
2. गोपीलाल गोद पुत्र मंगा उर्फ भगा के कायम मुकाम
   2/1 सुरेश पुत्र गोपीलाल
   2/2 दिनेश पुत्र गोपीलाल
   2/3 रेखा पुत्री गोपीलाल
   2/4 चम्पा पुत्री गोपीलाल
   2/5 भंवरीदेवी पत्नि गोपीलाल
3. गुदड़राम पुत्र पुनाराम पुत्र इन्द्राराम के कायम
   3/1 गुदड़राम पुत्र पुनाराम
   3/2 माडकी देवी पत्नि पुनाराम
4. बाबूराम पुत्र इन्द्राराम जी जातियान - सीरवी निवासीगण- चावण्डिया तहसील- जैतारण जिला- पाली राज0।
5. तहसीलदार, जैतारण

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:242/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री राकेश वैष्णव अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व सरहद मौजा-चावण्डिया पटवार हल्का चावण्डिया में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की जमीन खसरा नंबर 66 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम खसरा नंबर 94 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 56 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान
वर्तमान जमाबंदी अनुसार विवरण :-					
1	पुनाराम बाबुराम पिता इन्दाराम 1/2 उरजा ओगड़ पिता रामा 1/4 सुरेश दिनेश पिता गोपीलाल भंवरी देवी पत्नी गोपीलाल 1/4 कौम सीरवी सा.देह खातेदार।	56	13-12	बा.अ.	
2	उरजा ओगड़ पिता रामा गोपीलाल गोद पुत्र मंगा कौम सीरवी सा.देह खातेदार	66 94	13-15 10-01	बा.दो. बा.दो.	
	योग	2	23-16		

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रस्तावित बंट्वाड़ा अनुसार खातेदार का विवरण :-					
1	ओगड़ पुत्र रामा कौम सीरवी सा.देह खातेदार।	56	6-16	बा.अ.	
2	बाबुलाल पुत्र इन्दाराम गुदड़राम पुत्र पूनाराम मुन्नीदेवी कमलादेवी गणकीदेवी पुत्रियां पूनाराम माडकी देवी पत्नी पूनाराम कौम सीरवी सा. देह खातेदार।	56/1	6-16	बा.अ.	
3	सुरेश दिनेश पिता गोपीलाल रेखा चम्पा पुत्रियां गोपीलाल भंवरीदेवी पत्नी गोपीलाल कौम सीरवी सा.देह खातेदार।	66	10-04	बा.दो.	
4	रतनाराम पुखाराम बाबुलाल पिता उरजाराम कमलीबाई लीलाबाई पुत्रियां उरजाराम गटुड़ी बाई पत्नी उरजाराम कौम सीरवी सा.देह खातेदार।	94 66/1	10-01 0-03	बा.दो. बा.दो.	
	योग	**2**	**10-04**		
5	ओगड़ पुत्र रामा कौम सीरवी सा.देह खातेदार।	66/2	3-08	बा.दो.	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 11/09/2018 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	05 - 00		स्टाम्प वकालतनामा	02 - 00	
स्टाम्प वकालतनामा	01 - 00		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	-		महनताना वकील	/	
महनताना वकील	03 - 00		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	-		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-		मुत्फरिक		
मिजानः-	09 - 00		मिजानः-	02 - 00	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner